न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मुकेश बारैठ {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 95/2016

1. राजदीप सिंह पुत्र धर्मपाल जाति जटसिख निवासी 12एच मोहलां तहसील श्रीकरणपुर

बनाम --वादी--

1. स्टेट आफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

1. **गंगाराम प्रसाद शर्मा अधिवक्ता वादी की ओर से**
2. **राज पैरोकार प्रतिवादी की ओर से** --प्रतिवादी--

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआर एक्ट

--निर्णय-- दिनांक : 30.8.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा संशोधित वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2आर की जमाबंदी संवत 2068-71 के खाता सं0 60 के मु0 नं0 29 में कोडी बेवा लालचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में रकबा दर्ज है। चक 2आर की जमाबंदी संवत 2068-71 के खाता सं0 66 में मान सिंह पुत्र मक्खन सिंह सिंधी के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में चल रही हैं। चक 2आर के खाता सं0 60 के मु0 नं0 29 की भूमि कोडी बाई को आवंटन थी। कोडी बाई का देहांत हो चुका है। जिसका केवल मात्र वारिस मुखल सिंह था। मुखल सिंह का एक लड़का मान सिंह था। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। चक 2आर के खाता सं0 66 के मु0 नं0 29 की भूमि जो जमाबंदी में मान सिंह पुत्र मुखल सिंह के नाम सहवन से दर्ज है। जबकि सही यह है कि सनद गोधा सिंह हरदासी बाई के नाम से बहिस्सा दर्ज हुई थी। जब सेटलमेन्ट हुआ तो रिकार्ड में गलती से गोधा सिंह व हरदासी बाई की जगह मान सिंह का नाम दर्ज कर दिया जो एक तकनीकी गलती है। क्योंकि मानसिह को भूमि सिर्फ कोडी बाई की प्राप्त होनी है। मानसिंह कोडी बाई का इकलौता पौत्र है। कोडी बाई व मुखल सिंह के देहांत का अंकन बेसिक रजिस्टर में दर्शाया गया। इसके स्थान पर मान सिंह का नाम अंकन किया गया। चक 2आर की जमाबंदी संवत 2068-71 के खाता सं0 60 के मु0 नं0 29 के किला नं0 1 ता 12/1 की कुल 2.644 है0 भूमि में कोडी बाई बेवा लालचंद के नाम से हटाकर मानसिंह पुत्र मुखल सिंह कौम सिंधी साकिन 2आर के नाम खातेदारी दर्ज की जानी न्याय उचित है। चक 2आर के खाता सं0 66 के मु0 नं0 29 में मान सिंह पुत्र मुखल सिंह का नाम दर्ज किया गया है। उसके स्थान पर गोधा सिंह व हरदासी बाई का नाम दर्ज होना चाहिए था। गोधा सिंह व हरदासी बाई का नाम दर्ज होने के पश्चात तमाम भूमि का मिलान बराबर हो जायेगा। चक 2आर के खाता सं0 60 के मु0 नं0 29 के 12 बीघा जरिये निर्णय व डिगरी दिनांक 09.05.2012 न्यायालय सिविल न्यायाधीश श्रीकरणपुर के अनुसार विवादित भूमि का बैयनामा मुझ वादी के हक में होना है जो सनद न बनने के कारण रूका हुआ है। चक 2आर के खाता सं0 66 के मु0 नं0 29 के 12बीघा भूमि की सनद गोधा सिंह व हरदासी बाई के नाम से जारी हो चुकी है। परन्तु जमाबंदी में नाम दर्ज न होकर मान सिंह का नाम गलती से दर्ज हो गया है, जो सही होना है। इस बाबत वादी ने प्रतिवादी को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती बाबत कहा तो उसने इनकार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वादपत्र निम्न प्रकार से डिगरी किया जावे-

चक 2आर के खाता सं0 66 के मु0 नं0 29 के बीघा नं0 12 ता 25 में दर्ज भूमि मान सिंह के स्थान पर गोधा सिंह व हरदासी बाई का नाम बहिस्सा बराबर सही करके हाल जमाबंदी रिकार्ड में दर्ज करने की डिगरी जारी की जावे। और गोधा सिंह व हरदासी बाई को खातेदार घोषित कर नाम दर्ज किया जावे व चक 2आर की जमाबंदी संवत् 2068-71 के खाता सं0 60 के मु0 नं0 29 के किला नं0 1 ता 12/1 की कुल 2.644 है0 भूमि में कोडी बाई बेवा लालचंद का नाम हटाया जाकर मान सिंह पुत्र मुखल सिंह जाति सिंधी निवासी 2आर का नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज किए जाने के आदेश व डिगरी जारी की जावे एवं अन्य कोई अनुतोष हो तो दिलाया जावे।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। राज पैरोकार की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। जवाब स्टेट के अनुसार, वादपत्र की मद संख्या 1 लाईल्मी है। पैरा संख्या 2 एवं 3 रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है। पैरा संख्या 4 में कोडी बाई को भूमि आंवटन होना स्वीकार है। शेष मद लाईल्मी है। पैरा संख्या 5,6,7,8,9 लाईल्मी है। पैरा संख्या 10 व 11 कानूनी है।

Scanned by CamScanner

जवाब पेश कर निवेदन है कि कानूनी रूप से आदेश फरमाया जावे। वादपत्र के संबंध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा जांच प्रतिवेदन भी पेश किया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार चक 2आर की जमाबंदी संवत 2072-73 के खाता स0 74 के मु0 नं0 29 के किला नं0 1 से 12/1 का कुल रकबा 2.644 है0 कोडी पत्नि लालचंद जाति सिंधी साकिन देह गैरखातेदार एवं खाता स0 77 के मु0 नं0 29 में किला नं0 12/2 से 25 में कुल 3.238 है0 रकबा मानसिंह पुत्र मुखल सिंह जाति सिंधी साकिन देह गैरखातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। चक 2 आर की जमाबंदी संवत 2013-16 के खाता सं0 8 में मु0 नं0 29 गुदा सिंह पुत्र भाग सिंह 6बीघा 5 बिस्वा, हरदासी बाई बेवा रतन सिंह 6 बीघा 5 बिस्वा, कोडी बाई बेवा लालसिंह 10 बीघा 15 बिस्वा जाति लवाना साकिन देह के नाम दर्ज है। जबकि नवीन जमाबंदी संवत् 2017-20 बनाते समय मु0 नं0 29 के किला नं0 12/1 से 25 का रकबा हरदासी बाई बेवा रतन सिंह 6 बीघा 5 बिस्वा एवं गुदा सिंह पुत्र भाग सिंह 6 बीघा 5 बिस्वा दर्ज किया जाना है। एवं किला नं0 1 से 12 मान सिंह पुत्र मुखल सिंह के नाम दर्ज किया जाना था। जो कि किला नं0 12/1 से 25 मान सिंह पुत्र मुखल सिंह के नाम खाता सं0 50 एवं किला नं0 1 से 12 कोडी बेवा लाल सिंह के नाम खाता सं0 18 में दर्ज किया गया। किला नं0 1 से 12 का इकरारनामा मान सिंह पुत्र मुखल सिंह के द्वारा किया गया। एवं शेष रकबे की सनद सं0 8661 दिनांक 17.08.71 गुदा सिंह एवं वारिस सुन्दर सिंह, झिमी बाई के नाम 6बीघा 5बिस्वा एवं किला नं0 19 से 25 की सनद सं0 2699 हरदासी बाई पत्नि रतन सिंह 6बीघा 5बिस्वा के नाम जारी हो चुकी है। इस आधार पर मु0 नं0 29 के किला नं. 1 से 12/1 कोडी बाई बेवा लाल सिंह के स्थान पर मान सिंह पुत्र मुखल सिंह व किला नं0 12/2 से 25 गुदा सिंह पुत्र भाग सिंह 6बीघा 5बिस्वा एवं हरदासी बाई पत्नि रतन सिंह जाति लवाना साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज किया जाना उचित है।

वादी के द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र न्यायालय में विचाराधीन है। वादपत्र में मान सिंह के नाम आराजी में गोदा सिंह व हरदासी बाई के नाम अंकन की रिलिफ चाही है, लेकिन कोडी बाई के नाम दर्ज आराजी मान सिंह के नाम दर्ज करने का विवरण वाद पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज किया, लेकिन विवरण पूरी तरह से स्पष्ट नही है, इसलिए वादी वाद पत्र की मद संख्या 5 को संशोधन करवाना चाहता है संशोधन निम्न प्रकार से है-

वादपत्र के पैरा संख्या 5 के अन्त में यह जोडा जाए कि चक 2आर की जमाबंदी खाता सं0 60 संवत् 2068 ता 71 के मु0 नं0 29 के किला नं0 1 ता 12/1 कुल 2.644 है0 भूमि कोडी बाई बेवा लालचंद के नाम से हटाकर मान सिंह पुत्र मुखल सिंह कौम सिंधी साकिन 2आर के नाम खातेदारी दर्ज की जानी न्याय उचित है।

प्रार्थनापत्र की मद सं0 1 में चाहे गये संशोधन के बाद वादपत्र के रिलिफ क्लाज को संशोधन किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। रिलिफ क्लाज में चाहा गया है। संशोधन निम्न प्रकार से है-

रिलिफ क्लाज के अंत में जोडा जाये कि चक 2आर का संवत् 2068 से 2071 के खाता सं0 60 मु0 नं0 29 के किला नं0 1 ता 12/1 के कुल 2.644 है0 मे से कोडी बाई बेवा लालचंद का नाम हटाया जाकर मान सिंह पुत्र मुखल सिंह जाति सिंधी साकिन 2आर का नाम बतौर गैर खातेदार डिगरी जारी की जावे। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया एवं संशोधित वादपत्र पेश किया गया।

वादी को सुना गया, एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर चक 2आर के खाता सं0 66 के मु0 नं0 29 के किला नं0 12 ता 25 में दर्ज मान सिंह के स्थान पर गोधा सिंह व हरदासी बाई का नाम बहिस्सा बराबर सही करके अंकित करने बाबत निवेदन किया है एवं गोधा सिंह व हरदासी बाई को खातेदार घोषित करके नाम दर्ज करने बाबत निवेदन किया है एवं चक 2आर के खाता सं0 60 के मु0 नं0 29 के किला नं0 1 ता 12/1 की कुल 2.644 है0 भूमि में से कोडी बाई बेवा लालंचद का नाम हटाया जाकर मान सिंह पुत्र मुखल सिंह जाति सिंधी निवासी 2आर का नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज करने बाबत निवेदन किया है। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड श्रीकरणपुर के द्वारा अपने निर्णय व डिगरी दिनांक 09.05.12 से आदेश दिया गया है कि जमाबंदी चक 2आर के खाता सं0 62/57 के मु0 नं0 29 के किला नं0 12/2 से 25 कुल 3.238 है0 भूमि की सनद प्रतिवादीगण प्राप्त करके वादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस देकर तथा नोटिस तामील होने से दो माह के अन्दर अन्दर रजिस्ट्री बैयनामा वादीगण के हक में या जिसके हक में वादीगण चाहे तस्दीक करवा देगें। यदि प्रतिवादीगण सनद लाने की कार्यवाही नही करेगे तो सनद लेने का अधिकार प्रतिवादीगण की तरफ से वादीगण का होगा तथा प्रतिवादीगण द्वारा सनद मिलने पर भी यदि प्रतिवादीगण रजिस्ट्री बैयनामा नही करवायेगे तो उस सूरत में वादीगण को अधिकार होगा कि वादीगण न्यायालय की वादपत्र रजिस्ट्री बैयनामा करवा सकेगे। पत्रावली में संलग्न

Scanned by CamScanner

सुखदीप सिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान सरकार
प्रकरण सं0 95/2016

तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी को लिखा गया पत्र क्रमांक 557 दिनांक 25.07.2016 में अंकित अनुसार बेसिक रजिस्टर सं0 142/23बी चक 2आर का रकबा पुर्नवास विभाग द्वारा निम्नानुसार आवंटन किया जाना दर्ज है। गोधा सिंह पुत्र भागू सिंह लबाना मु0 नं0 29 6बीघा 6बिस्वा (सुन्दर सिंह व झिमी बाई के नाम दर्ज हुआ), हरदासी बाई बेवा रतन सिंह मु0 नं0 29 6बीघा 6बिस्वा, कोडी बाई बेवा लाल सिंह मु0 नं0 29 10बीघा 15बिस्वा (बाद में कोडी बाई की मृत्यु होने पर मान सिंह व कैला बाई के नाम दर्ज हुआ), संवत् 2013-14 की जमाबंदी में उक्त आवंटन अनुसार रकबा सांझा खाता में गोधा सिंह पुत्र भाग सिंह 6बीघा 5 बिस्वा, हरदासी बाई बेवा रतन सिंह 6बीघा 5 बिस्वा, कोडी बाई बेवा लालसिंह 10बीघा 15 बिस्वा जाति लबाना साकिन देह के नाम दर्ज है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के अनुसार उक्त मु0 नं0 29 निम्नानुसार दर्ज हो गया। मान सिंह पुत्र मुखल सिंह 12बीघा 16 बिस्वा, कोडी बाई बेवा लाल सिंह 10बीघा 14बिस्वा। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2064 ता 67 में निम्नानुसार रकबा दर्ज है। मान सिंह पुत्र मुखल सिंह 3.238 है0, कोडी बाई पत्नि लाल सिंह 2.644 है0। यह समस्त रकबा जरिये इकरारनामा/बैयनामा हजूर सिंह व राजदीप सिंह के नाम दर्ज है। माननीय न्यायालय एसीजेएम से इस रकबा में से मान सिंह /मुखल सिंह के नाम दर्ज रकबा की डिगरी राजदीप सिंह के नाम हो चुकी है। बीआर रजिस्टर में आवंटन के अनुसार चक 2आर के मु0 नं0 29 के 6बीघा 5बिस्वा रकबा की सनद सं0 8661 दिनांक 07.08.71 सुन्दर सिंह व अन्य के नाम से जारी है। तथा सनद सं0 2699 दिनांक 26.12.67 से हरदासी बाई पत्नि रतन सिंह के नाम से मु0 नं0 29 की 6बीघा 5बिस्वा की जारी हुई है। शेष रकबा कोडी बाई के नाम मु0 नं0 29 का 10बीघा 15 बिस्वा का आवंटन हुआ है। जो कोडी बाई की मृत्यु होने पर मान सिंह व कैला बाई के नाम दर्ज होना चाहिए था। परन्तु आज तक कोडी बाई/लाल सिंह के नाम से गैर खातेदारी चला आ रहा है। जबकि गुदा सिंह/ भाग सिंह व हरदासी बाई पत्नि रतन सिंह को आवंटित रकबा इसकी सनद भी जारी हो चुकी है। भूप्रबन्धन विभाग द्वार मान सिंह/मुखल सिंह के नाम दर्ज कर दिया गया है। जिसके कारण आवंटीगण/वारिसान को आंवटित रकबा में अंतर है। वर्तमान जमाबंदी में आंवटन अनुसार निम्न प्रकार से संशोधन होने से प्रकरण का निस्तारण संभव है। 1. चक 2आर मु0 नं0 29 गोधा सिंह/भाग सिंह (आवंटी) वारिसान सुन्दर सिंह व झिमी बाई 6बीघा 5बिस्वा। 2. चक 2आर मु0 नं0 29 हरदासी बाई/रतन सिंह (आवंटी) वारिसान हरदासी बाई/रतन सिंह 6बीघा 5बिस्वा। 3.चक 2आर मु0 नं0 29 कोडी बाई/लाल सिंह (आवंटी) वारिसान मान सिंह व कैला बाई 10बीघा 15बिस्वा। पत्रावली में पेश सनद सं0 8661 जो सुन्दर सिंह व अन्य के नाम चक 2आर के मु0 नं0 29 के 6बीघा 5बिस्वा में जारी है एवं सनद सं0 2699 जो हरदासी बाई के नाम से चक 2आर के मु0 नं0 29 के 6बीघा 5बिस्वा में जारी है। तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्तानुसार शुद्वि किया जाना उचित है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 2आर की जमाबंदी संवत् 2072-75 के खाता सं0 77/66 के मु0 नं0 29 की 3.238 है0 नहरी रकबा में अंकित नाम मान सिंह पुत्र मुखल सिंह के स्थान पर हरदासी बाई पत्नि रतन सिंह व गोधा सिंह पुत्र भाग सिंह बहिस्सा बराबर देह गैर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं चक् 2आर की जमाबंदी संवत् 2072-75 के खाता सं0 74/60 के मु0 नं0 29 के किला नं0 1 ता 12/1 में अंकित नाम कोडी पत्नि लालचंद जाति सिंधी साकिन देह गैर खातेदार के स्थान पर मान सिंह पुत्र मुखल सिंह जाति सिंधी निवासी 2आर देह गैर खातेदार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिगरी इस आशय का जारी हो। पर्चा डिगरी की एक प्रति राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को प्रेषित की जावे। इस संबंध में किसी अन्य न्यायालय का कोई आदेश या स्थगन आदेश हो तो उसकी पालना की जावे, एवं इस संबंध में इस न्यायालय को अवगत कराया जावे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.8.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
{मुकेश बारेठ आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर